



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092022-238515
CG-DL-E-01092022-238515

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 598]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 2022/भाद्र 10, 1944

No. 598]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022/BHADRA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2022

आयकर

सा.का.नि. 677(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (उनत्तीसवां संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) यह 9 जुलाई 2022 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- आयकर नियम, 1962 के नियम 114 खख में उप नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस उप नियम के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां कोई व्यक्ति, उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) के क्रम संख्या 1 के अनुसार रकम को जमा करता है या स्तंभ (2) के क्रम संख्या 2 के अनुसार रकम को वापस करता है अथवा स्तंभ (2) के क्रम संख्या 3 के अनुसार चालू खाता या नगद उधार खाता खोलता है, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार या परामर्शदाता कार्यालय है।”।

[अधिसूचना सं. 105/2022/फा. सं. 370142/38/2022-टीपीएल-भाग I]

शेफाली सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने के द्वार इस संबंध में किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 647(अ) तारीख 26.08.2022 को किया गया।